REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2022

झारखंड में जनजातीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन : वर्तमान परिदृश्य में

डॉ. जूई बनर्जी
शोध छात्रा , झारखंड राय विश्वविद्यालय रांची-

सारांश:

झारखण्ड यानी झार या झाड़ जो स्थानीय रूप में वन का पर्याय है और खण्ड यानी टुकड़े से मिलकर बना है।अपने नाम के अनुरुप यह मूलतः एक वन प्रदेश है जो झारखंड आंदोलन के फलस्वरूप (जिसे बाद में कुछ लोगों द्वारा वनांचल आंदोलन के नाम से जाना जाता है) सृजित हुआ। झारखण्ड एक जनजातीय राज्य है। 15 नवम्बर 2000 को यह प्रदेश भारतवर्ष का 28 वां राज्य बना। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। झारखण्ड का सामान्य अर्थ है झाड़ों का प्रदेश। बुकानन के अनुसार काशी से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखण्ड कहलाता था। ऐतरेय ब्राहमण में यह 'ठपुण्ड' नाम से वर्णित है। जनजातीय क्षेत्रों के लिये झारखण्ड शब्द का प्रयोग पहली बार 13 वीं शताब्दी के एक तामपत्र में हुआ है। माहभारत काल में इस क्षेत्र का वर्णन 'ठपुण्डरिक देश' के नाम से हुआ है जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र का उल्लेख झारखण्ड नाम से किया है। मल्लिक मुहम्मद जायसी ने अपनी शास्वत रचना पद्मावत में झारखण्ड नाम की चर्चा की है। सम्भवतः जंगल-झाड़ की अधिकता ने ही झारखण्ड नाम को जन्म दिया ऐसा प्रतीत होता है।

आज देश में लोकतन्त्र के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षित स्त्रियों की है मनुष्य की जन्म जाति शक्तियों के स्वाभाविक और सामन्जस्यपूर्ण विकास में सहयोग देती है उसकी वैयक्तिता का पूर्ण विकास करती हैं उसे अपने वातावरण से सामन्जस्य स्थापित करने में सहायक हैं उसे नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिये तैयार करती हैं और उसके व्यवहार, विचार एवं दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती हैं जो समाज देश और विश्व के लिये हितकर होता है। समाज व देश के विकास का उत्तरदायित्व परिवार पर आती हैं, वर्तमान में यह दायित्व विद्यालयों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के कन्धों पर आ गया हैं लेकिन परिवार का महत्व कम नहीं हुआ परिवार शिक्षा का प्रथम केन्द्र बिन्दु है। परिवार में माता का स्थान सर्वोपरि हैं शिक्षित माता के अभाव में परिवार की शिक्षा एक दिवास्वप्न के समान होगी। अतः

स्त्री (माता) शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती हैं माता ही ऐसे बालक के निर्माण में सक्षम होती हैं जो समाज और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के समर्थ होते हैं अर्थात शिक्षित नारी समूह (माताएं) ही परिवार और समाज को सुसंस्कृत बनाती हैं।

साक्षरता किसी स्थान की जनता की उन्नति और वहां की सुसंगत व्यवस्था की आधारभूत मापक होती है। किसी भी समाज या समुदाय में महिलाओं की स्थिति से उस समाज या समुदाय के वास्तविक विकास परिलक्षित होती है है। छोटानागपुर प्रदेश में 32 समुदाय की अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी जीवनशैली थोड़ी भिन्नता के साथ लगभग एक जैसी है। राज्य की कुल जनसंख्या का 26.20% हिस्सा अनुसूचित जनजाति की है। झारखंड की अनुसूचित जनजाति में महिलाओं की भागीदारी 50.08% है और लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 1003 महिलाएं हैं, जबकि देश की अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 989 है। झारखंड की अनुसूचित जनजातियों में उच्च स्तर का लिंगानुपात होने के बावजूद यहां इस समुदाय में महिला साक्षरता दर अत्यंत निम्न है, जो इस समुदाय के विकास का सर्वाधिक बड़ा कारक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या साक्षरता दर अपने राज्य झारखंड की औसत साक्षरता दर से काफ़ी कम है। इसका अर्थ है शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से झारखंड के आदिवासी अभी बहुत दूर हैं।

प्रस्तावना

शिक्षा के प्रति जनजातीय लागों की परम्परागत व रूढ़िवादी मानसिकता है। महिलाओं की शिक्षा को गैर जरूरी माना जाता है, जिसके कारण वे लड़कियों की शिक्षा आवश्यक नहीं समझते हैं। ... वर्तमान में देखा जाता है कि झारखंड की जनजाति महिलाओं में शिक्षा का व्यापक विकास आज भी नहीं हो पाया, अतः जनजाति महिला तो आज भी निरक्षर है। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो झारखंड की सामान्य महिलाओं की 55.4% आबादी साक्षर है, जबकि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की 46.2% जनसंख्या साक्षर है। यह फासला लगभग 10% का है, जबकि राज्य में सामान्य पुरुष की साक्षरता दर (76.1%), से जबकि अनुसूचित जनजाति की पुरुषों की साक्षरता दर (68.1%) का फासला मात्र 8% का है। अर्थात अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता की स्थिति पुरुषों के मुकाबले पिछड़ी है। झारखंड की अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता एवं साक्षरता लिंग-भेद देश की तुलना में लगभग 2% पीछे है। यह स्थिति अधिक चिंताजनक इसलिए है, क्योंकि भारत में कुल जनसंख्या का मात्र 8% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है, जबकि झारखंड में यह अनुपात 26.2% है। झारखंड की ग्रामीण एवं नगरीय सामान्य और अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही स्थानों पर अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर निम्न है। सामान्य और अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता-दर का फासला कम है जबकि नगरीय क्षेत्रों में फासला अधिक है। भारत व झारखंड की सामान्य और अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता के लिंग-भेद का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही स्थानों पर अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर लगभग देश में 20% कम है तथा झारखंड मे 10% कम है, किन्तु साक्षरता लिंग-भेद में झारखंड देश से काफी आगे है। गांवों की अधिकांश अनुसूचित जनजाति महिलाएं निरक्षर हैं। ध्यातव्य है कि झारखणंड की अनुसूचित जनजाति की 91% जनसंख्या ग्रामीण है।

निम्न शैक्षणिक स्थिति के प्रमुख कारक

प्रसिद्ध सामाजिक विज्ञानी कॉफी अन्नान के अनुसार “साक्षरता कष्ट और आशा के बीच का एक सेतु है”। इस कथन के आलोक में झारखंड में अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर को शत-प्रतिशत करने का प्रयास करना आवश्यक है। साक्षरता दर निम्न होने के निम्न कारण हैं :

1. सामाजिक : जातिव्यवस्था, खेती या व्यापार के मौसम मे काम, घर के काम संभालने की मजबूरी, कम उम्र में विवाह, बालिकाओं की असुरक्षा, लड़का-लड़की मे भेदभाव करना, आदि। आर्थिक : गरीबी, बाल मजदूरी, लडकियों मे अधिक खर्च, कपड़े और यूनिफार्म का अभाव। भौगोलिक : घर से विद्यालय की अधिक दूरी, नदियों और पर्वतों आदि स्थलाकृतिक की बाधाएं आदि। राजनैतिक : राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी, आर्थिक आवंटन में देर, निर्णय लेने में देरी, बालिकाओं और महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं। प्राकृतिक : प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा भूकंप इत्यादि। भाषा की समस्या : झारखंड के अनुसूचित जनजाति विभिन्न समुदायों की अपनी अलग-अलग भाषाएं हैं। ये लोग हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं बोल और समझ नहीं पाते। यह इनकी साक्षरता का बाधक कारक है।
2. जनजातीय समाज में साक्षरता दर राज्य की औसत दर से 9.31 प्रतिशत कम रही है, जो जानजातीय इलाके में शिक्षा की बदहली को उजागर करती है. 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 66.41 था. इसमें महिलाओं में साक्षरता दर 52.04% , जबकि पुरुष साक्षरता दर 76.84% थी. लेकिन, इसी बीच जनजातीय समाज की साक्षरता दर को देखें, तो वह काफी कम है. 2011 के आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 57.1% है, जो राज्य की कुल साक्षरता दर से 9.31% कम है. वहीं, अगर राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें, तो यह आंकड़ा 75.8% है, जबकि अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 68.2%, जो झारखंड की साक्षरता दर से 8.6% कम है. वहीं, महिलाओं में साक्षरता दर को देखें, तो राज्य में 55.4% साक्षरता दर है, जबकि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 40.2% है, जो राज्य की साक्षरता दर से 9.31% कम है।
3. छह जिलों में जनजातीय महिला साक्षरता दर कम- आंकड़े बताते हैं कि कोडरमा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह और देवघर जिला में जनजातीय समाज की महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है. महिलाओं की साक्षरता दर कोडरमा में 28.33% , साहेबगंज में 31.2%, गोड्डा में 32.3%, पाकुड़ में 32.3%, गिरिडीह में 33.3% और देवघर में 34.4% है, जो जनजातीय समाज की कमजोर आर्थिक अवस्था को भी उजागर करता है।
4. जनजातीय समाज के 144262 लोग हैं स्नातक, इनमें से 0.5 प्रतिशत ने की है चिकित्सा की पढ़ाई- जनजातीय समाज में स्नातक की शिक्षा प्राप्त करनेवालों की संख्या 144262 रही है. वहीं, तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करनेवालों की संख्या मात्र 12.76% ही है. इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्राप्त करनेवालों की संख्या 2.62% है. वहीं, चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करनेवाले लोगों की संख्या 0.5% है. पशु चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करनॉवालों की संख्या 0.06% ही है. वहीं, शिक्षण कार्य में जुड़े जनजातीय समूह के लोगों की संख्या मात्र 3.90 है।
5. आदिम जनजातियों के विकास के लिए राज्य को 2015-16 में 1627.37 लाख, 2016 -17 में 3120 लाख और 2017-18 में 2043.75 लाख मिले। बावजूद इसके इनकी आर्थिक स्थिति व सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ

।राज्य की सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लगभाग पांच हजार स्कूलों को बंद कर पास के स्कूलों में विलय करने का कार्य किया गया है, जिसका विरोध ग्रामीणों के साथ-साथ सत्ताधारी दल के नेता भी करते रहे हैं. वहीं, राज्य की साक्षरता दर के आंकड़े को देखें, तो जनजातीय समुदाय में साक्षरता दर सामान्य से 9.31% कम है और आदिम जनजातियों की औसत साक्षरता दर 30 प्रतिशत के करीब ही है । रिपोर्ट में पीवीटीजी समूह के आदिम जनजाति पहाड़िया में साक्षरता दर 25.6%, बिरहोर में 26.4%, सबर में 26.9%, बैगा में 29%, कोरबा में 29.4% ही साक्षरता दर है।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार- 'राज्य विशेष सावधानी के साथ समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति/ जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के उन्नयन को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा'।
- अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से 342 तथा संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 46 में दिए गए लक्ष्य हेतु विशेष प्रावधानों के संबंध में कार्य करते हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लाभार्थ इन प्रावधानों का पूर्ण उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के शैक्षणिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्ययोजना (पीओए) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की वर्तमान योजनाओं में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा में सहभागिता के लिए सुझाव-

1. शिक्षा का सिद्धांत एक बुद्धिवादी दृष्टिकोण पर आश्रित है कि सभी मनुष्य मुक्त एवं समान अधिकार के साथ पैदा हुए हैं और उस जाति व्यवस्था को आदमी ने अपनी ही-की सुविधा के लिए बनाया है। एक सामाजिक आदर्श के रूप में अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जनजातीय बच्चों के साथ में अन्य बच्चों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
2. पर प्रगतिशील निवेश-अपवर्जित बच्चों, कमजोर स्कूलों और तहत प्रदर्शन क्षेत्रों, समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण।
3. जनजातीय बालिकाओं पर केंद्रित शैक्षिक दृष्टिकोण।
4. अच्छी तरह से कार्य करने वाली एवं अच्छी तरह से प्रबंधित और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली।
5. स्कूली शिक्षा के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को कम करने के प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है।
6. जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा शोषणमुक्त हो एवं उनके अधिकारों एवं लाभों का वे अधिकतम उपयोग कर सकें, इसके लिए जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। लिंग संवेदीकरण (Gender sensitization) कार्यक्रम तैयार होने चाहिए।

7. शिक्षा बालिका सशक्तीकरण का एक प्रमुख हथियार है। दलित बालिकाओं के लिए रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे कुटीर उद्योग, गांव शिल्प आदि का प्रशिक्षण उन्हें उनके घर पर मिलना चाहिए।

8. प्रतिभाशाली जनजातीय बालिकाओं की खोज का कोई वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए एवं गांव स्तर पर उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए।

9. जनजातीय बालिकाओं में प्रतिस्पर्धा की भावनाएं जाग्रत की जानी चाहिए।

10. जनजातियां बालिकाओं को परिणाममूलक शिक्षा दी जानी चाहिए।

11. उच्च शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए।

12. विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो दलित एवं गैर-दलित में कोई फर्क न करे, इसके लिए नियमित अंतराल में काउंसलिंग की आवश्यकता है।

13. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जनजातीय बालिकाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए तहसील या गांव स्तर पर स्पेशल कोचिंग एवं आर्थिक सहायता उन्हें मिलना चाहिए। दलितों को शिक्षित करने की दिशा में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी हम सभी को स्वीकार करना चाहिए।

भारत में जनजातियां बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना जहां जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक श्रेष्ठताओं का बोलबाला हो, एक बहुत बड़ी चुनौती है। दलित बालिकाओं का स्कूलों में नामांकन करवाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी पढ़ाई को पूरा करवाने के लिए भी कोई उपाय हमारे पास होना चाहिए। अपरिवर्तित सामाजिक मूल्यों के चलते शिक्षा से दलित बालिकाओं का जुडाव नगण्य जैसा है। दलित बालिकाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता एवं अन्याय से लड़ने की शक्ति शिक्षा से प्राप्त होती है। दलित बालिकाओं से शिक्षा में असमानता का व्यवहार, सामाजिक अस्पृश्यता, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना समाज, परिवार एवं तंत्र द्वारा किया जाना सर्वविदित है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये सारी घटनाएं जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं जिम्मेदार लोगों के संज्ञान में होती हैं। आज आवश्यकता है कि समाज, तंत्र और जनप्रतिनिधि इन दलित सपनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों।

संदर्भ

1. इन्डिया ए रिफरेन्श एनुवल, नई दिल्ली, योजना आयोग (1968 पेज 61-62

2. एजूकेशन इन रिस्टीस्पेक्ट, ए रिव्यू ऑफ दि स्पोटर्स एण्ड रिकमेन्डेशन्स ऑफ दी कमीशन्स/कमेटीज नई दिल्ली, शिक्षा मन्त्रालय (1967) पे-88

3. कान्स्टीटयूशनल एसेम्बली डिवेटस खण्ड 7, 19 नवम्बर (1948) न्यू देहली, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया

4. थर्ड आल इण्डिया एजूकेशनल सर्वे ऑफ हायर एजूकेशन (1973-74) पेज-4

5. द इण्डियन ईयर बुक ऑफ एजूकेशन (1961) नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, 1965, पेज-226.

6. https://www.livehindustan.com

7. https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in

8. https://ncst.nic.in

9. wikipedia